

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

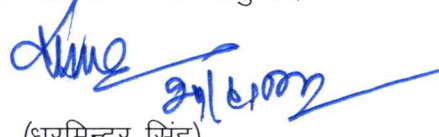
आदेश

क्रमांक 1060/गोपनीय/2025  
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 24 मई, 2025

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री सिद्धार्थ कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरसूद जिला खण्डवा के निवेदनानुसार, उनकी सेवा-पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में, उनकी शैक्षणिक योग्यता में LL.M. की उपाधि अंकित करने की अनुमति एतद्वारा प्रदान करता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

  
(धरमिन्दर सिंह)  
रजिस्ट्रार जनरल  
59

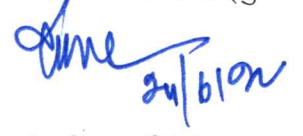
पृष्ठांकन क्रमांक 1061/गोपनीय/2025  
दो-2-7/57

जबलपुर, दिनांक 24 मई, 2025

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को उनके पृष्ठांकन क्रमांक 1373/दो-16-01/06, दिनांक 20-05-2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 श्री सिद्धार्थ कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरसूद जिला खण्डवा को उनके आवेदन पत्र क्रमांक 184/2025, दिनांक 16.05.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3 रजिस्ट्रार (I.T.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 6 जे.जे.ए., गोपनीय शाखा/ सीनियर कम्प्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट, गोपनीय शाखा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को क्रमशः सेवा-अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
(धरमिन्दर सिंह)  
रजिस्ट्रार जनरल  
59